for CARETAKER

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-(एन)04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2015, शनिवार/अग्रहायण 15—अग्रहायण 21, 1937
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2015, SATURDAY/AGRAHAYANA 15—AGRAHAYANA 21, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. [illegible]—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी प्राध्यापक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी प्राध्यापक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी प्राध्यापक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding Fifty six years' as on the closing date of receipt of application. **Note 2.-** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 3.-** The Departmental officers on the feeder category, who are in the direct line of promotion, will not eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion		

[F. No. A-12018/3/2011 – E-III]

PAVAN MALVIYA, Dy. Director of Administration

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रभावी केन्द्रीय मत्स्यपालन कर्मी संस्थान, (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1968, को, जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ केयर टेकर के पद से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि में कनिष्ठ केयर टेकर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग केन्द्रीय मत्स्यपालन, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि में कनिष्ठ केयर टेकर, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विव[ाह] किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अ[न्य पक्षकार को] लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस निय[म के प्रवर्तन से] छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीची[न है, वहां वह] उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के [संबंध में, आदेश] द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभा[व नहीं डालेगी,] जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति[यों, अनुसूचित] जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती [किए जाने वाले] व्यक्तियों [के लिए] शैक्षिक [और अन्य अर्हताएं]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1) कनिष्ठ केयर टेकर	2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900रु.	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल-प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	1. किसी [...] बोर्ड [...] उत्ती[र्ण] टिप्पण [...] सुअर्हित [...] दशा में [...] जो ले[...] सक्षम [...] विवेकान[ुसार ...] जा सक[ता ...] टिप्पण [...] (अर्हता[एं ...] लिए ज[...] सक्षम [...] विवेकान[ुसार ...] जाति[...] जाति[...] दशा [...] सकती [...] किसी [...] प्राधि[कारी ...] कि [...] रिक्ति[...]

					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नही होता।	दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य आगमन प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए दो वर्ष ।	सीधे भर्ती द्वारा । टिप्पण.- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी । (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता हो ।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित होंगें : 1. निदेशक - अध्यक्ष केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग का कोई समूह (क) अधिकारी सदस्य	

[फा.सं.3-46/2

योगेन्द्र कुमा

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 7th December, 2015

G.S.R.233.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Consti supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rul far as they relate to the post of Junior Caretaker, except as respects things or omitted to be done before suct the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior C Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fist Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Engineering Training, Cochin, Junior Caretaker, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of classification, pay band, and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2 Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

1. **Disqualifications.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under th applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doin person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedie may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect category of persons.

6. **Saving:-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessic be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit fo recruitr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Caretaker	2* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1900	Not -applicable	Between 18 and (Relaxable for servant upto fo accordance witl

					or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be last date upto which the employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any or by	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Matriculation pass from a recognised Board. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of cndidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in Pay Band-1, Rs. 5200-20200, Grade Pay Rs. 1800 and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7)".

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition	Circumstances in which Union P Service Commission to be consult making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** (1) Director, CIFNET – Chairman; (2) Senior Administrative Officer, CIFNET – Member; (3) A group "A" officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member.	Not applicable.

[F. No. 3-46/2014-Adr

YOGINDER KUMAR, Under